



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-08.07.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट में एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 08 माह का कठोर कारावास व 20000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-515/2023 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शोभनाथ पाण्डेय पुत्र राजू पाण्डेय निवासी एस-6/68 अर्दली बाजार थाना कैण्ट जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-08.07.2024 को माननीय न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त शोभनाथ पाण्डेय उपरोक्त को अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट मे 08 माह के कठोर कारावास व 20000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।